न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–सुनील कुमार -I, (RAS)

राजस्व वाद संख्या :– 35/2024 GCMS 2024/70

वादीगण :–

भंवरलाल पुत्र लालाराम जाति चेजारा के विधिक वारिसान :–

1. नारायणराम पुत्र स्व. भंवरलाल जाति चेजारा
2. गोपालराम पुत्र स्व. भंवरलाल जाति चेजारा
3. भागीरथराम पुत्र स्व. भंवरलाल जाति चेजारा
4. मनुड़ी पुत्री स्व. भंवरलाल जाति चेजारा
5. छोटूड़ी पुत्री स्व. भंवरलाल जाति चेजारा
6. राजुदेवी पुत्री स्व. भंवरलाल जाति चेजारा
7. नानूदेवी पुत्री स्व. भंवरलाल जाति चेजारा निवासीयान सरगोठ तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. शिवदानराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट
2. नरसाराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासीयान सरगोठ तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राज.
3. पशुपालन विभाग कुचामनसिटी जरिये उप–निदेशक पशुपालन विभाग कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (लैण्ड होल्डर)

दावा– बाबत अधिकारो की घोषणा व बंटवारा अन्तर्गत धारा 53,88 राज. टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित :–श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
श्री ऋषभ शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से।
श्री दौलत खॉ अधिवक्ता प्रति. सं. 3 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :–21/11/2024

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी ने पत्रांक/भू.अ./2024/2244 दिनॉक 21.10.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 18.10.2024 को तैयार की गई। जो न्यायालय में प्राप्त होकर शामिल मिसल उपलब्ध है। बहस में उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ ने बताया है कि माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस पर एवं वाद पत्र में दिनॉक 05.06.2024 को [illegible] प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। [illegible] निम्न प्रकार से है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:41:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

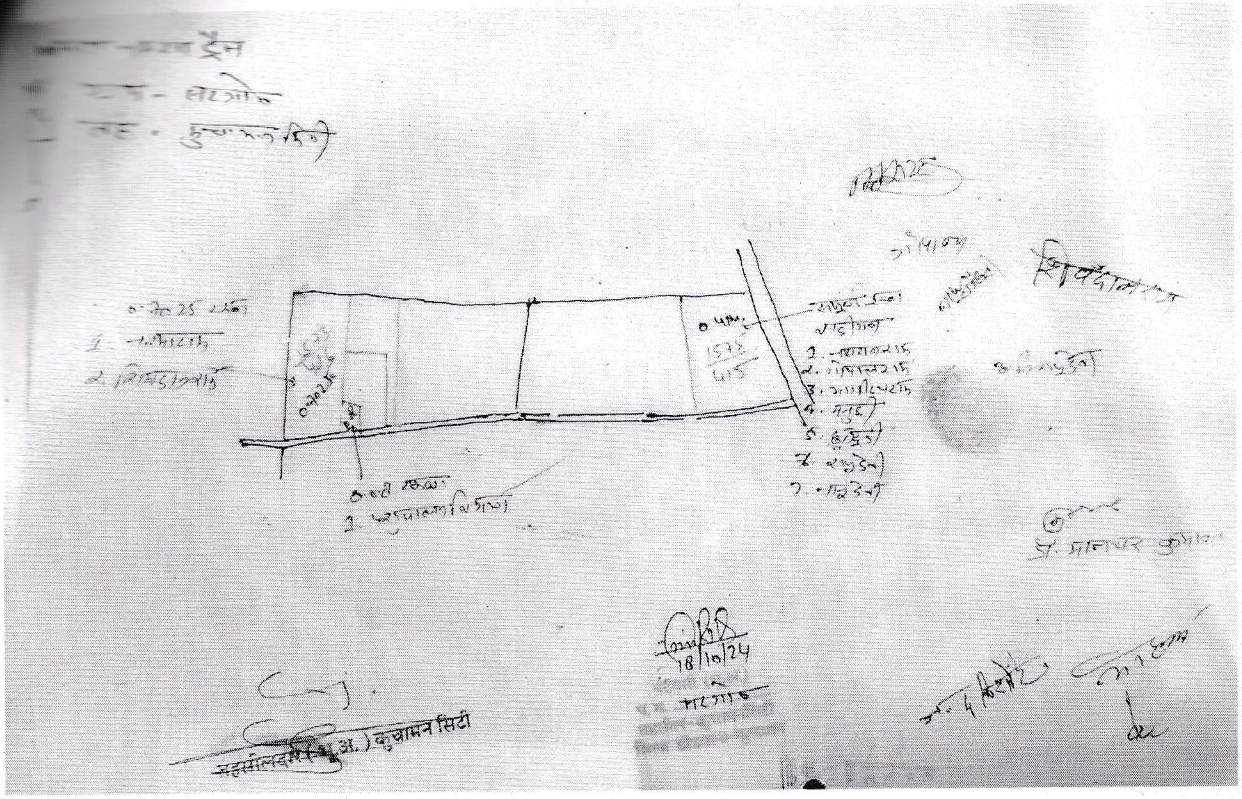

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम प्रस्तुत कर कथन किया है कि मौके पर उपस्थित पक्षकारान/खातेदारान व पड़ौसियो ने उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 से 3 का कब्जा काश्त होना बताया है, उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार ग्राम सरगोठ पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1573/416 रकबा 0.7825 हैक्टर में से 0.7025 हैक्टर पर प्रतिवादी सं. 1 शिवदानराम एवं प्रतिवादी सं. 2 नरसाराम का कब्जा काश्त है तथा 0.08 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 3 पशुपालन विभाग के कब्जे में है शेष हिस्से में से भंवरलाल पुत्र लालाराम जाति चेजारा का नाम हटाया जावें। ग्राम सरगोठ पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1575/415 रकबा 0.98 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 414 रकबा 0.01 हैक्टर में खातेदार मृतक भंवरलाल पुत्र लालाराम जाति चेजारा सा. सरगोठ के वारिसान वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमें से प्रतिवादी शिवदानराम, नरसाराम का नाम हटाया जावें तथा मृतक भंवरलाल के स्थान पर उसके वारिसान वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। पक्षकारान मौके पर नजरी नक्शा अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट (वि[illegible]व) का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकार[illegible] डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री जारी की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:41:55 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम सरगोठ पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1573/416 रकबा 0.7825 हैक्टर में से 0.7025 हैक्टर पर प्रतिवादी सं. 1 शिवदानराम एवं प्रतिवादी सं. 2 नरसाराम को तथा 0.08 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 3 पशुपालन

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

विभाग को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मृतक भंवरलाल पुत्र लालाराम जाति चेजारा का नाम हटाया जाता है प्रतिवादी नरसाराम शिवदानराम का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा त्रिसिंा के रहन दर्ज रहेगा।। ग्राम सरगोठ पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1575/415 रकबा 0.98 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 414 रकबा 0.01 हैक्टर में खातेदार मृतक भंवरलाल पुत्र लालाराम जाति चेजारा सा. सरगोठ के वारिसान वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी शिवदानराम नरसाराम का नाम हटाया जाता है तथा भंवरलाल पुत्र लालाराम के नाम की प्रविष्टि खाते से हटाई जाती है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 18.10.2024 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जानें हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 21/11/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार-I, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:41:55 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–डीडवाना–कुचामन (राज.)

बइजलास : सुनील कुमार -I ,(RAS)

राजस्व वाद संख्या :– 35/2024 GCMS 2024/70

वादी :–

भंवरलाल पुत्र लालाराम जाति चेजारा के विधिक वारिसान :–

1. नारायणराम पुत्र स्व. भंवरलाल जाति चेजारा
2. गोपालराम पुत्र स्व. भंवरलाल जाति चेजारा
3. भागीरथराम पुत्र स्व. भंवरलाल जाति चेजारा
4. मनुड़ी पुत्री स्व. भंवरलाल जाति चेजारा
5. छोटूडी पुत्री स्व. भंवरलाल जाति चेजारा
6. राजुदेवी पुत्री स्व. भंवरलाल जाति चेजारा
7. नानूदेवी पुत्री स्व. भंवरलाल जाति चेजारा निवासीयान सरगोठ तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. शिवदानराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट
2. नरसाराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासीयान सरगोठ तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राज.
3. पशुपालन विभाग कुचामनसिटी जरिये उप–निदेशक पशुपालन विभाग कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (लैण्ड होल्डर)

दावा– बाबत अधिकारो की घोषणा व बंटवारा अन्तर्गत धारा 53,88 राज. टिनेन्सी एक्ट 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी............. मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री ऋषभ शर्मा, श्री दौलत खॉ अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम सरगोठ पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1573/416 रकबा 0.7825 हैक्टर में से 0.7025 हैक्टर पर प्रतिवादी सं. 1 शिवदानराम एवं प्रतिवादी सं. 2 नरसाराम को तथा 0.08 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 3 पशुपालन विभाग को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मृतक भंवरलाल पुत्र लालाराम जाति चेजारा का नाम हटाया जाता है प्रतिवादी नरसाराम शिवदानराम का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा त्रिसिंगी के रहन दर्ज रहेगा।। ग्राम सरगोठ पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1575/415 रकबा 0.98 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 414 रकबा 0.01 हैक्टर में खातेदार मृतक भंवरलाल पुत्र लालाराम जाति चेजारा सा. सरगोठ के वारिसान वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी शिवदानराम नरसाराम का नाम हटाया जाता है तथा भंवरलाल पुत्र लालाराम के नाम की प्रविष्टि खाते से हटाई जाती है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 18.10.2024 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निज .... मुबलिग .... [illegible] के मय सूद भारह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अद[illegible]

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत [illegible] सन् 2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:41:55 IST
Reason: SelfAttested

मुहर

हस्ताक्षर

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी • कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) • सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:41:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (डीडवाना–कुचामन) राज.

क्रमांक / कोर्ट / 2024 / 300 दिनॉकः– 25/11/2024

प्रेषित :– 1. तहसीलदार, कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व वाद सं. 35 / 2024 **GCMS 2024/70** भंवरलाल बनाम शिवदानराम वगैरह में पारित अंतिम डिक्री आदेश की पालना बाबत।

–x– x–x–x –

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व वाद सं. 35 / 2024 **GCMS 2024/70** भंवरलाल बनाम शिवदानराम वगैरह में पारित अंतिम डिक्री आदेश की पालना बाबत प्रति भिजवाई जा रही है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:41:55 IST
Reason: SelfAttested